न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 100/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना **बनाम** तहसीलदार वजीरपुर निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेंर

GCMS No-2025/ 237 **Appeal Number- 321265370838631**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
16.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 23.6..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम किशोरपुरा के खाता संख्या 1458 वर्तमान खाता संख्या 57 की 1976 से आज दिनांक तक की गिरदावरी, सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे एवं बाद के नक्शे तथा किये गये आवंटन आदेश सहित कुल 3 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*** "तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/99 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 827 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा गिरदावरी की नकल लेने हेतु निर्धारित प्रारूप मे नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करने एवं सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद के नक्शे की प्रति जिला कार्यालय सवाईमाधोपुर से प्राप्त करने बाबत एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलान्ट उक्त सूचना नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त करे एवं साथ ही बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:39:19 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner